न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 68/2014

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. विक्रेता एवं मालिक – श्री सुरेन्द्र कुमार (उर्फ कुमार उतवानी) पुत्र श्री कुन्दोमल, मैसर्स–कुमार कुन्दोमल, न्यू फ्रूट मण्डी, ब्यावर रोड, अजमेर। निवासी– 540 जाटियावास, पुरानी मण्डी, वार्ड नं0 31, तहसील अजमेर, अजमेर।
2. मैसर्स–कुमार कुन्दोमल, न्यू फ्रूट मण्डी, ब्यावर रोड, अजमेर।

.....अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (IV) एवं विनियम 2011 का 2, 3, 5 एवं धारा 58

उपस्थित :– 1. श्री भरत शर्मा, वकील अप्रार्थी की ओर से

–: आदेश :–

दिनांक–05.02.2016

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने कैल्शियम कार्बाईड का उपयोग पपीतों को पकाने में करके Contravene to the food safety and standards (prohibition & Retriction on sales) Regulation 2011 पाया गया जो कि एफ.एस.एस.एक्ट 2006 के विनियम 2011 का (Part 3 Section 4)Section 2,3,5 का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 मे निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जाँच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
अजमेर

Scanned by CamScanner

कार्यालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 10.04.2014 को 01.30 पी.एम पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स–कुमार कुन्दोमल, न्यू फ्रूट मण्डी, ब्यावर रोड, अजमेर पर पहूँचे श्री सुरेन्द्र कुमार (उर्फ कुमार उतवानी) पुत्र श्री कुन्दोमल मौके पर उपस्थित मिले निरीक्षण करने पर वहां रखे पपीतो को पकाने के लिये कैल्शियम कार्बाईड का प्रयोग किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान प्रतिबंधित कैल्शियम कार्बाईड के रखे पाये जाने पर विक्रेता की सहमति से मौके पर उपस्थित गवाहों के समक्ष नष्ट करवा कर भविष्य में नहीं बेचने बाबत निर्देश दिये गये। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, रेगुलेशन– 2011 के विनियमन 2.3.5 द्वारा कैल्शियम कार्बाईड का उपयोग किया जाना निषेध है तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 के अन्तरर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 19.12.2014 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 22.12.2014 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 04.03.2015 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 04.03.2015 को अप्रार्थी जरिये वकील उपस्थित हुए तथा जवाब नोटिस पेश किया तत्पश्चात उनकी बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी ने उन्होने कथन किया कि अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद मे उन पर लगाये गये आरोपो को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त कथन गलत है। दिनांक 10.04.2014 को अप्रार्थी के व्यवसायिक स्थल पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजमेर द्वारा किसी प्रकार का कोई निरीक्षण नहीं किया गया तथा न ही कैल्शियम कार्बाईड को जब्त किया गया। अप्रार्थी द्वारा पपीते जिस अवस्था में खरीद किये गये थे उसी अवस्था में अप्रार्थी द्वारा उनका विक्रय किया जा रहा था। उन्होंने कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा पपीतो को पकाने के लिये किसी प्रकार के रासायनिक पदार्थ का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। बाद में झूठा मुकदमा बनाने के उद्देश्य से खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिये गये। उन्होंने यह भी कथन किया कि अप्रार्थी के यहां से जब्त की गई पुडियों की कोई F.S.L. रिपोर्ट नहीं ली गई है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(IV) एवं विनिमय 2.3.5 व धारा 58 के तहत कोई अपराध बनना नहीं पाया जाता है। अतः न्यायहित में अप्रार्थी को उन्मोचित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

हमने वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा पपीते को पकाने हेतु कैल्शियम कार्बाईड का उपयोग किया जा रहा था। उनका यह कथन गलत है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा झूठे मुकदमे में फसाने हेतु खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये गये, जबकि पत्रावली में उपलब्ध मौका फर्द पर अन्य गवाह के साथ ही अप्रार्थी के स्वंय के हस्ताक्षर अंकित है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक

न्याय निर्णायक अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

अधिनियम 2006 रेगूलेशन 2011 के विनियमन 2.3.5 एवं धारा 58 के तहत प्रतिबन्धित कैल्शियम कार्बाईड उपयोग का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 58 में प्रतिबन्धित कैल्शियम कार्बाईड पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूकिं अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें। इस आशय का शपथ–पत्र भी उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त श्री सुरेन्द्र कुमार को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योकि प्रार्थी अभियुक्त ने उस पर लगाये गये आरोप को स्वीकार कर भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृति नही किये जाने हेतु आश्वस्त किया है। परन्तु अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 के नियम 2.3.5 एवं धारा 58 की का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त श्री सुरेन्द्र कुमार को रु. 2500/– (अक्षरे दो हजार पाच सौ रूपयें मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 05.02.2016 के एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक **05.02.2016** को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2016/532-35 दिनांक : 5.2.16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2– अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अजमेर।
3– अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वा0 सेवायें जोन, अजमेर।
4– विक्रेता एवं मालिक – श्री सुरेन्द्र कुमार (उर्फ कुमार उतवानी) पुत्र श्री कुन्दोमल, मैसर्स–कुमार कुन्दोमल, न्यू फूट मण्डी, ब्यावर रोड, अजमेर।
निवासी– 540 जाटियावास, पुरानी मण्डी, वाड नं0 31, तहसील अजमेर, अजमेर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

Scanned by CamScanner